छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 01 प्रकरण क्रमांक–**M-PRO-2023-01867**

आवेदक : वरण वेलफेयर सोसायटी, द्वारा–अध्यक्ष श्री विक्की आहूजा, निवासी–राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) विरूद्ध श्री अनिल गाड़िया, पता–दिल्ली स्वीट के बगल से शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''वरण वेलफेयर सोसायटी'' अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
05/06/2023	– प्रकरण प्रस्तुत। – अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री फिजि ग्वालरे। – आवेदक/शिकायतकर्ता वरण वेलफेयर सोसायटी की ओर से श्री विक्की आहूजा द्वारा भू–संपदा (विकास एंव विनियमन) अधिनियम 2016 की धारा–31 सहपठित छत्तीसगढ़ भू–संपदा (विकास एंव विनियमन) अधिनियम 2016 की धारा–35 (1) के अधीन निर्धारित प्रारूप–ङ अनावेदक के विरूद्ध शिकायत प्रस्तुत की है कि अनावेदक द्वारा निम्नानुसार निर्माण कार्य नहीं किया गया हैं :– 1. पंप हाउस झोपड़ीनुमा बना दिया गया है। 2. बिजली विभाग द्वारा जांच उपरांत रूपये 2,60,159/– का बकाया बिल दिया गया है, जिसका प्रमोटर द्वारा भुगतान से इंकार किया गया। 3. प्लास्टर उखड़ रहे हैं। 4. छत में पानी टंकी 20–25 फीट का बना है, जिस पर सीढ़ी नहीं लगाया है। 5. अन्य बिल्डर प्रारंभ से दो साल तक रखरखाव शुल्क नहीं लेते, जबकि अनावेदक द्वारा रखरखाव शुल्क लिया गया है। 6. फ्लैट में सीपेज हो रहा है। 7. बिल्डर के द्वारा उनके फ्लैट्स का रखरखाव नहीं दिया जा रहा है, जिसका राशि आज दिनांक तक रूपये 8,23,000/– हो गई है। 8. इलेक्ट्रिक वायरिंग बहुत निम्न स्तर का किया गया है। 9. हैण्डल एवं एल ड्राप चिटकनी, खराब एवं पतले लगाये गये है। 10. पेवर ब्लॉक जगह–जगह धस रहा है। 11. कोर्ट यार्ड फलोरिंग में ग्लास स्ट्रीप नहीं लगाया गया है। 12. कुल 124 मकान हैं, जिसके लिए 87 पार्किंग दिया गया है, शेष के लिए पार्किंग उपलब्ध नहीं है। 13. बी ब्लॉक में गार्ड रूम बनाया गया है उसका चाबी आज तक सोसायटी को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। 14. सिंकिंग फण्ड सोसायटी को नहीं दिया गया है। 15. सोसायटी के अनुमति के बगैर एवं नो ड्युज के बिना फलैट	

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	बेचे जा रहे हैं। 16. सोसायटी पूरी तरह से हेण्डओवर नहीं हुआ एवं ब्लूप्रिंट नहीं दिया गया है। आवेदक/शिकायतकर्ता द्वारा उक्त कमियों को दूर किये जाने हेतु राहत चाही गयी, जो कि निम्नानुसार हैंः– 1. पंप हाउस पक्का बनाने हेतु। 2. बिजली बिल 260159 भुगतान हेतु। 3. उखड़ रहे प्लास्टर को बनाने हेतु। 4. पानी टंकी में सीढ़ी लगाने हेतु। 5. 2 साल की रखरखाव शुल्क की राशि वापस दिलाने हेतु। 6. फ्लैट में सीपेज और क्रेक्स सुधारवाने हेतु। 7. प्रमोटर के अधीन फ्लैट्स का रखरखाव शुल्क रूपये 8,23,000/– दिलवाने हेतु। 8. इलेक्ट्रीक वायरिंग सुधरवाने हेतु। 9. हैण्डल व एल ड्रॉप सुधारने हेतु। 10. पेवर ब्लॉक सुधरवाने हेतु। 11. कोर्ट यार्ड फ्लोरिंग में ग्लास लगाने हेतु। 12. 124 मकान में से 87 को छोड़ कर अन्य को पार्किंग उपलब्ध कराने हेतु। 13. बी ब्लॉक में गार्ड रूम बनाया गया हैं। उसे विक्रय से रोकने हेतु। 14. सिंकिंग फण्ड दिलाये जाने हेतु। 15. बिना सोसायटी की अनुमति के फ्लैट नहीं बेचे जाने हेतु। 16. सोसायटी को पूरी तरह हेण्ड ओवर किये जाने हेतु प्राधिकरण द्वारा आदेश प्रदान किया जाये। – अनावेदक को शिकायत के प्रति प्रदान करते हुये अनावेदक पक्ष का जवाब लिया गया। अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि शिकायत प्राधिकरण के समक्ष प्रचलन योग्य नहीं है, क्योंकि अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट पूर्ण होने सम्बंधि पूर्णता प्रमाण–पत्र 1018/अ.न.प्र./न.प.नि 2017 दिनाँक 22/07/2017 प्राप्त किया गया है; जिसके कारण प्राधिकरण के प्रभावशील होने के पूर्व पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के कारण यह परियोजना पंजीकृत नहीं किया गया है। जिसके सम्बंध में प्राधिकरण का आदेश दिनाँक 06/06/2018 क्रमांक–01/रेरा/2018/275 प्राधिकरण	

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	द्वारा जारी आदेश अवलोकनीय है। अधिनियम की धारा– 3(2) (b) में यह प्रावधानित करता है कि जिस प्रमोटर के द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र इस अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व प्राप्त किया गया है; उसे पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। सम्प्रर्वतक द्वारा इस अधिनियम के प्रभावशील होने के पूर्व ही दिनाँक 22/07/2017 को पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है। इस तथ्य को प्राधिकरण द्वारा आदेश क्रमांक–01/रेरा/2018/275 दिनाँक 06/06/2018 द्वारा स्पष्ट भी किया गया है; जिस परियोजना में पूर्ण प्रमाण पत्र 31/07/2017 के पूर्व प्राप्त हो गया है। "Section 3(1) of the real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 provides that a plot, apartment or building or any part there of, as the case may be shall not be transferred by the promoters in any manner without registering the real estate project with the Real Estate Regulatory Authority.... In its proviso, provisions regarding submission of application by the promoters to the Authority within a period of three months from the date of commencement of the Act, i.e. July 31, 2017, for registration of ongoing projects are also clearly mentioned." अनावेदक द्वारा महाराष्ट्र रेरा द्वारा पारित आदेश के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायलय मुम्बई द्वारा रिट पिटिशन नं. 72 Of 2021 मेसर्स रुकमिनी बेवरेज प्रा.लि. विरूद्ध मेसर्स श्री निवास कॉटन मिल एण्ड अदर्स में पारित आदेश का न्याय दृष्टांत उद्धरित करते हुये। यह आपत्ति की गयी कि पूर्ण योजना के संबंध में प्रस्तुत शिकायत प्रचलन योग्य नहीं हैं। अनावेदक द्वारा यह भी जवाब प्रस्तुत किया गया कि शिकायतकर्ता सोसायटी को अधिपत्य एवं अन्य दस्तावेज वर्ष 2017 में हस्तांतरित किया जा	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 01 प्रकरण क्रमांक–**M-PRO-2023-01867**

आवेदक : वरण वेलफेयर सोसायटी, द्वारा–अध्यक्ष श्री विक्की आहूजा, निवासी–राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) विरूद्ध श्री अनिल गाड़िया, पता–दिल्ली स्वीट के बगल से शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''वरण वेलफेयर सोसायटी'' अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	चुका है। प्रोजेक्ट अनुसार सोसायटी के अधिपत्य में है और प्रोजेक्ट को संधारित कर रही है। अनावेदक के अनुसार दिनाँक 26/04/2019 को अनावेदक को सोसायटी द्वारा दी गई अभिस्वीकृति से स्पष्ट है कि वर्ष 2017 से प्रोजेक्ट के संबंध में सोसायटी प्रभावी नियंत्रण एवं प्रबंधन कर रही है एवं कोई आवश्यक दस्तावेज प्रमोटर के पास नहीं है। सोसायटी यह भी स्वीकृती दे चुकी है कि संप्रर्वतक किसी भी कार्य के लिऐ जिम्मेदार नहीं होगा। अनावेदक द्वारा यह भी लेख किया है कि प्रोजेक्ट को पूर्ण हुये 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है; अधिनियम की धारा–14 के अधीन प्रस्तुत शिकायत काल सीमा 5 वर्ष की है। अतः शिकायत को नस्तीबद्ध किया जाना उचित होगा। – प्रकरण में दिनाँक 29/05/2023 को पोषणीयता के ऊपर तर्क हेतु नियत था किन्तु दिनाँक 29/05/2023 को आवेदक पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रकरण के प्रचलन योग्य होने संबंधी तर्क श्रवण किया गया है। आवेदक पक्ष से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अनावेदक की विदूषी अधिवक्ता द्वारा जवाब एवं आपत्ति के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये गये। प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के संबंध में किसी संरचनात्मक त्रुटि होने के उपरान्त 5 वर्ष तक की समय अवधि के भीतर ही कोई भी शिकायत प्रस्तुत कि जा सकती है। इसीलिये निर्माण कार्य सम्बधि बिन्दुओं पर परिसीमा अधिनियम की अधीन कोई शिकायत प्रस्तुत नहीं की जा सकती है और प्रस्तुत शिकायत, काल सीमा बाह्य है । – शिकायत के तथ्यो का अध्ययन किया गया। अनावेदक के जवाब का अध्ययन व प्रकरण में प्रस्तुत प्रकरणों का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा जवाब के ऊपर प्रति–उत्तर प्रस्तुत किया गया कि सोसायटी द्वारा दिनाँक 26/04/2019 को प्रदत्त पूर्णता	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 01 प्रकरण क्रमांक–**M-PRO-2023-01867**

आवेदक : वरण वेलफेयर सोसायटी, द्वारा–अध्यक्ष श्री विक्की आहूजा, निवासी–राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) विरूद्ध श्री अनिल गाड़िया, पता–दिल्ली स्वीट के बगल से शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''वरण वेलफेयर सोसायटी'' अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	प्रमाण पत्र दबाव में दिया गया है। सोसायटी का पंप खराब हो गया था और सोसायटी के पास पंप खरीदने के लिये पैसा नहीं था। इस प्रकार दबाव से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया। आवेदक के अनुसार पूर्णता प्रमाण पत्र अध्यक्ष द्वारा लिया गया है, जिसके लिये मीटिंग बुलाकर सोसायटी के सदस्यों की राय नहीं ली गयी है। जब दिनाँक 22/07/2017 को नगर निगम से पूर्णता प्रमाण पत्र किया गया है, तो फिर दवाब डाल कर दिनाँक 26/04/2019 को सोसायटी के प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता थी ? इससे स्पष्ट होता है कि दिनाँक 22/07/2017 को नगर–निगम से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं था कि नगर निगम द्वारा तथ्यों की जांच किये बिना जारी प्रमाण पत्र को आवेदक ने अस्वीकार किया है। आवेदक ने अपने प्रत्युत्तर में बिल्डर द्वारा नगर निगम में पूर्णता प्रमाण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र की जांच हेतु रिसिप्ट रजिस्टर रेरा में तलब की जाये। अनावेदक के द्वारा प्रदत्त पत्र अनुसार फायर फायटिंग का एनोसी लिफ्ट का बजर बदलने, इलेक्ट्रिक अर्थिंग वायर लगाने, पंप हाउस की छत बनवाकर देने का आश्वासन देने के बावजूद कोई कार्य नहीं किये जाने का लेख किया है। आवेदक ने नगर–निगम द्वारा सोसायटी का कार्य पूरा देखे बिना ही दिनाँक 27/04/2017 को जारी पूर्णता प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया है। अनावेदक द्वारा नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण पत्र क्रमांक–1018/भ. नि. प्र रायपुर, दिनांक 22/07/2017 प्रस्तुत किया गया है, जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट परिसर को सोसायटी को हस्तांतरित करने की दिनाँक 26/04/2019 को प्राप्ति की अभिस्वीकृति प्रस्तुत की गई है, जो कि वरण अपाटमेंट वेलफेयर	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 01 प्रकरण क्रमांक–**M-PRO-2023-01867**

आवेदक : वरण वेलफेयर सोसायटी, द्वारा–अध्यक्ष श्री विक्की आहूजा, निवासी–राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) विरूद्ध श्री अनिल गाड़िया, पता–दिल्ली स्वीट के बगल से शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''वरण वेलफेयर सोसायटी'' अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	सोसायटी द्वारा निष्पादित किया गया है। उक्त अभिस्वीकृति पत्र से स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रोजेक्ट सोसायटी को संप्रर्वतक द्वारा हस्तांतरित किया जा चुका है। इसके खण्डन में कोई दस्तावेज एवं साक्ष्य आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। हाँलाकि आवेदक ने नगर निगम द्वारा बिना निरीक्षण के कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किये जाने का लेख किया है; लेकिन अपने उक्त अभिकथन के समर्थन में भी आवेदक ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः साक्ष्य के अभाव में आवेदक के कार्य पूर्णता एवं हस्तांतरण संबंधी राहता। अभिकथनों को स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट को पूर्ण हुये 5 वर्ष से अधिक की समय अवधि व्यतीत हो चुकी है। आवेदक द्वारा शिकायत में उल्लेखित अधिकांश विसंगतियाँ निर्माण कार्य में कमी या निर्माण कार्य नहीं होने से संबंधित है। इस संबंध में अधिनियम की धारा–14(3) में यह प्रावधानित है कि '' यदि कब्जा सौंपे जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर आबंटिती द्वारा, ऐसे विकास से संबंधित किसी संरचनात्मक त्रुटि या सेवाओं के कर्मकौशल, क्वालिटी व उपबंध या संप्रवर्तक की किन्हीं अन्य बाध्यताओं की ओर संप्रवर्तक का ध्यान दिलाया जाता है तो संप्रवर्तक का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी त्रुटियों को बिना किन्हीं अतिरिक्त प्रभारों के तीस दिन के भीतर दूर कराये और संप्रवर्तक द्वारा ऐसी त्रुटियों को ऐसे समय के भीतर दूर करने में असफल रहने की दशा में व्यथित आबंटिती वह समुचित प्रतिकर पाने का हकदार होगा, जो इस अधिनियम के अधीन उपबंधित हो।'' आवेदक ने उक्त समयावधि व्यतीत होने उपरांत वर्तमान शिकायत प्रस्तुत की है और यदि आवेदक ने उक्त समयावधि के भीतर उपरोक्त कार्यों के संबंध में अनावेदक से कोई निवेदन किया हो, तो इससे संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः उक्त संबंध में अनावेदक पक्ष के	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 01 प्रकरण क्रमांक–**M-PRO-2023-01867**

आवेदक : वरण वेलफेयर सोसायटी, द्वारा–अध्यक्ष श्री विक्की आहूजा, निवासी–राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) विरूद्ध श्री अनिल गाड़िया, पता–दिल्ली स्वीट के बगल से शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''वरण वेलफेयर सोसायटी'' अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	जवाब एवं तर्क से सहमत होते हुये प्राधिकरण यह विनिश्चित करता है कि आवेदक/शिकायतकर्ता की शिकायत अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सुनवाई योग्य नहीं है। अतः शिकायत निरस्त की जाती है। परन्तु अनावेदक ने अपनी आपत्ति में अधिनियम की धारा–3(2) (b) के अंतर्गत प्रोजेक्ट को कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र अधिनियम के प्रवर्तन के पूर्व प्राप्त होने की वजह से पंजीयन की आवश्यकता नहीं होने का लेख कर इस प्राधिकरण के आदेश क्रमांक–01, दिनाँक 06.06.2018 व माननीय उच्च न्यायालय, बाम्बे द्वारा WP NO. 72 of 2021 मेसर्स रूखमिनी बेवरेज प्रा. लि. विरूद्ध मे. श्रीनिवास कॉटन बिल्स लिमिटेड व अदर्स में पारित आदेश को न्याय दृष्टांत के रूप में उद्धरित किया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अधिनियम की धारा–1 अनुसार दिनाँक 01.05.2017 को अधिनियम की धारा–3 व अन्य प्रावधानों का प्रवर्तन हो चुका था। धारा–3(1) में यह प्रावधानित है कि – ''परन्तु उन परियोजनाओं के लिये, जो इस अधिनियम के प्रारंभ की तारिख को चल रही हैं और जिनके लिये कार्य पूरा होने संबंधी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, संप्रवर्तक उक्त परियोजना का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिये इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर प्राधिकारी को आवेदन करेगा।'' अर्थात् दिनाँक 01.05.2017 को ऑनगोईंग प्रोजेक्टस को पंजीयन हेतु दिनाँक 31.07.2017 तक आवेदन करना था। प्राधिकरण द्वारा इसका अपने आदेश क्रमांक–01, दिनाँक 06.06.2018 में करते हुये यह भी उल्लेखि किया गया है कि ''इसके तहत् छ.ग. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान की गई थी। छ.ग. भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा भी	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 01 प्रकरण क्रमांक–**M-PRO-2023-01867**

आवेदक : वरण वेलफेयर सोसायटी, द्वारा–अध्यक्ष श्री विक्की आहूजा, निवासी–राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) विरूद्ध श्री अनिल गाड़िया, पता–दिल्ली स्वीट के बगल से शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''वरण वेलफेयर सोसायटी'' अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	अपनी स्थापना के तुरंत पश्चात् फरवरी, 2018 से रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही प्रारंभ कर इस हेतु दिनाँक 31.05.2018 तकम की समय सीमा प्रमोटर्स को प्रदान की गई थी वस्तुतः प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु प्रमोटर्स को पर्याप्त समयावधि प्रदान की जा चुकी है। अतः ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन हेतु उक्त निर्धारित समयावधि में वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।'' और उक्त आदेश के माध्यम से विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों में विलंब शुल्क का निर्धारण किया गया है। चूँकि अनावेदक के प्रोजेक्ट को दिनाँक 22.07.2017 को रेरा अधिनियम, 2016 के प्रवर्तन उपरांत पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। इसलिये अनावेदक को भी अधिनियम की धारा–3(1) अनुसार पंजीयन कराना चाहिये था और धारा–3(2)(b) के प्रावधान एवं अनावेदक द्वारा उद्धरित न्याय दृष्टांत वर्तमान प्रोजेक्ट के संबंध में लागू नहीं होते हैं। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अनावेदक द्वारा अधिनियम की धारा–3(1) का उल्लंघन प्रमाणित होता है। अतः रजिस्ट्रार छ.ग. रेरा को इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 01 प्रकरण क्रमांक–**M-PRO-2023-01867**

आवेदक : वरण वेलफेयर सोसायटी, द्वारा–अध्यक्ष श्री विक्की आहूजा, निवासी–राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) विरूद्ध श्री अनिल गाड़िया, पता–दिल्ली स्वीट के बगल से शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''वरण वेलफेयर सोसायटी'' अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 01 प्रकरण क्रमांक–**M-PRO-2023-01867**

आवेदक : वरण वेलफेयर सोसायटी, द्वारा–अध्यक्ष श्री विक्की आहूजा, निवासी–राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) विरूद्ध श्री अनिल गाड़िया, पता–दिल्ली स्वीट के बगल से शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''वरण वेलफेयर सोसायटी'' अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 01 प्रकरण क्रमांक–**M-PRO-2023-01867**

आवेदक : वरण वेलफेयर सोसायटी, द्वारा–अध्यक्ष श्री विक्की आहूजा, निवासी–राधेश्याम पेट्रोल पम्प के पास अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.) विरूद्ध श्री अनिल गाड़िया, पता–दिल्ली स्वीट के बगल से शैलेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''वरण वेलफेयर सोसायटी'' अमलीडीह, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर